COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 5 Rs. INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

समक्ष- माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

कड़ोरा तनय हल्कुआ धोबी
निवासी लडवारी तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़ म.प्र.

R 682/II/06

..... आवेदक

// विरुद्ध//

मध्यप्रदेश शासन

.... .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

द्वारा आज दि० 10.4.06

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 413अ/19 वर्ष 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 7/2/2006 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि,आवेदक को तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रकरण क्र. 440अ-19(4) वर्ष 95-96 के द्वारा आदेश दि० 30/9/96 को ख.नं. 1301 रकबा 0.721 हेक्टेयर का व्यवस्थापन ग्राम करमासन भाटा में 2/10/84 से को कब्जा मान्यकिया जाकर किया गया था । उक्त व्यवस्थापन के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी ने अपनी टीप प्रस्तुत की जिस पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर जिसमें उन्होंने आवेदकगणों का कब्जा वर्ष 79-80 से 83-84 तक कब्जा मान्य किया है परन्तु मात्र 2/10/84 को कब्जा न मानकर विवादित आदेश पारित कर दिया जिसके विरुद्ध आवेदक ने निगरानी श्रीमान् अधिनस्थ न्यायालयश्रीमान्अपर आयुक्त सागर के यहाँ प्रस्तुत की, जिन्होंने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दी जिसके विरुद्ध यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

मुकेश भार्गव 10-4-06 एडवोकेट ग्वालियर

10.4.06

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–682–दो/2006 जिला– टीकमगढ़

कड़ोरा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–05–19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित। उनके तर्क सुने गये। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 413/अ–19/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 07–02–2006 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। जिसमें शासकीय अभिभाषक को कोई आपत्ति न होने से प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है। 4/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करमासन घाट की भूमि खसरा नम्बर 1301 रकबा 0.721 हैक्टर का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा दिनांक 30–09–96 को आवेदक के पक्ष में किया। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने अपर कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25–08–1999 प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन प्रावधान के विपरीत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव दिनांक 25–08–1999 के आधार पर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–09–96 का परीक्षण किया गया । व्यवस्थापन आदेश विधि के विपरीत पाये जाने पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर	

दिनांक 31–03–2004 से विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने दिनांक 07–02–2006 से अपर कलेक्टर के आदेश को उचित माना तथा निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 07–02–2006 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव दिनांक 25–08–1999 के आधार पर नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ के आदेश दिनांक 30–09–1996 का परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि नायब तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लिये जाने वाली भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम करमासन घाट की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1301 रकबा 0.721 हैक्टेयर का व्यवस्थापन आवेदक के पक्ष में नियम के विपरीत किया है। नायब तहसीलदार द्वारा व्यवस्थापन आदेश नियम के विपरीत पाये जाने पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदक ने दिनांक 30–12–2003 को अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । अपर कलेक्टर ने आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत आवेदक का 02–10–1984 को आवेदक का भूमि प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा प्रमाणित होना नहीं पाया ।

6/ मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लिये जाने वाली

भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 में निम्नलिखित प्रावधान है:–

(1) भूमिस्वामी अधिकार की पात्रता के लिये व्यक्ति कृषि श्रमिक होना चाहिये।

(2) 2 अक्टूबर 1984 को कृषिक भूमि उसके कब्जे में होना चाहिये, व उसी ग्राम का निवासी होना चाहिये, जिसमें भूमि स्थित है तथा उसके कुटंब का कोई भी सदस्य भूमि धारण नहीं करता हो।

(3) वह वयस्क भी होना चाहिये । अवयस्क विद्यार्थी, कृषि श्रमिक होना मान्य नहीं किया गया है। अधिनियम के अधीन भूमि के आबंटन में सर्वण तथा अनुसूचित जाति/जनजाति में कोई विभेद उपबंधित नहीं है।

आवेदक द्वारा कब्जा होने के संबंध मे कोई प्रमाण न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा प्रावधान एवं नियम के विपरीत भूमि व्यवस्थापन का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 31–03–2004 से विचारण न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है तथा भूमि शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिये, जो कि उचित प्रतीत होता है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश को उचित माना है, जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर का आदेश दिनांक 07–02–2006 स्थिर रखा जाता है।

8/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 24/5/19
सदस्य